# नेपाल राजपत्र

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ५६) काठमाडौं, असार १२ गते २०६३ साल (संख्या ९

## भाग ३

### नेपाल सरकार

### सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना

नेपाल सरकारले नेपाल विविध सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियूक्ति) नियमहरू, २०५० को अनुसूची - २ को खण्ड (ख) को क्रमसंख्या ३ को प्रयोजनको निमित्त लिथो सहायक (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी) पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देहायबमोजिम तोकेको छ :–

(क) सरकारी कार्यालय वा रजिष्टर्ड संस्थामा लिथो सञ्चालन सम्बन्धी काममा निरन्तर ३ (तीन) महिनाको अनुभव वा सम्बन्धित विषयमा ६ महिनाको तालिम प्राप्त, वा

(ख) एस एल.सी. उत्तिर्ण, वा

(ग) लिथो सहायक भन्दा तल्लो पदमा निरन्तर १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको ।

आज्ञाले,
माधवप्रसाद घिमिरे
नेपाल सरकारको सचिव

### नेपाल सरकार

### भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सूचना

नेपाल सरकारले जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खानेपानी गुणस्तर देहाय बमोजिम तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| वर्ग | Parameter | इकाई(Unit) | अधिकतम् सघनन् सीमा (Maximum Concentration Limits) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| भौतिक | धमिलोपन(Turbidity) | NTU | ५(१०) | |
| | हाइड्रोजन विभव (pH) | | ६.५–८.५* | |
| | रङ्ग (Color) | TCU | ५ (१५) | |
| | स्वाद तथा गन्ध (Taste & Odor) | | आपत्तीजनक हुनु नहुने | |
| | कुल घुलित ठोस पदार्थ (Total Dissolved Solids) | मि.ग्रा/लिटर | १००० | |
| | विद्युतीय संवाहकता (Eleotrical Conductivity) | माइक्रोसिमेन्स/सेन्टिमिटर | १५०० | |
| | फलाम (Iron) | मि.ग्रा./लिटर | ० ३ (३) | |
| | मेंगानीज (Manganese) | " | ०.२ | |
| | आर्सेनिक (Arsenic) | " | ०.०५ | |
| | क्याडमियम (Cadmium) | " | ०.००३ | |
| | क्रोमियम (Cromium) | " | ०.०५ | |
| | सायनाइड (Cyanide) | " | ० ०७ | |

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | फ्लोराइड (Fluoridc) | " | ०.५-१.५* | |
| | शीशा (Lead) | " | ०.०१ | |
| | अमोनिया (Ammonia) | " | १.५ | |
| रासायनिक | क्लोराईड (Chloride) | " | २५० | |
| | सल्फेट (Sulphate) | " | २५० | |
| | नाइट्रेट (Nitrate) | " | ५० | |
| | तामा (Copper) | " | १ | |
| | कुल कडापन (Total Hardness) | " | ५०० | |
| | क्याल्सीयम (Calcium) | " | २०० | |
| | जस्ता (Zinc) | " | ३ | |
| | पारो (Mercury) | " | ०.००१ | |
| | आल्मिनियम (Aluminium) | " | ०.२ | |
| | क्लोरिन अवशेष (Residual Chlorine) | " | ०.१-०.२* | क्लोरिन प्रयोग हुने प्रणालीहरूका लागि मात्र |
| सूक्ष्म जैविक | इ–कोली (E-Coli) | MPN/100ml | ० | |
| | कुल कोलिफर्म (Total Coliform) | " | ० (९५% नमूनामा) | |

नोट (१)*यी मानहरूले न्यूनतम् र अधिकतम् सोमा जनाउँदछन् ।

(२) अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र मान्य हुने मानलाई कोष्ठ ( ) भित्र राखिएको छ ।

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(३) पहिलो चरणमा तोकेको मितिले ५ वर्षभित्र देहायका आयोजना तथा आपूर्तिकर्ताले सो गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ ।

(क) दश हजार भन्दा बढो जनसंख्यालाई सेवा पुऱ्याउने सम्पूर्ण चालु शहरी खानेपानी आयोजना र साना शहरी खानेपानी आयोजना,

(ख) यो मापदण्डको स्वीकृति पश्चात् सञ्चालन हुने सम्पूर्ण नयाँ शहरी खानेपानी आयोजना,

(ग) दश हजारभन्दा कम जनसंख्यालाई सेवा पुऱ्याउने भएतापनि पानी जन्य रोगहरूको जोखिम बढी भएका नयाँ तथा चालु शहरी खानेपानी आयोजना,

(घ) शहरी खानेपानी आपूर्तिकर्ता, निजी उद्योग तथा स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित संघ संस्था ।

(४) दोश्रो चरणमा गुणस्तर तोकेको मितिले ५ वर्षदेखि १० वर्षभित्रमा देहायका खानेपानो आपूर्ति प्रणालीमा सो गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ :-

(क) दोश्रो चरणको पहिलो ३ वर्षभित्र जिल्ला सदरमुकामका सबै खानेपानी आपूर्ति प्रणालीमा,

(ख) दोश्रोचरण शुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण ग्रामीण सामुदायिक खानेपानी आपूर्ति प्रणालीमा ।

आज्ञाले,
जनकराज जोशी
नेपाल सरकारको सचिव



मुद्रण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित। मूल्य रू. ५।-
गो.हु.द.नं. १६।२०६२।६३

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।